30.9.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित थे। वकील प्रतिवादी का कथन है, कि प्रक्र(0) में इकबालिया जवाब पेश किया जा चुका है। वाद वादी स्वीकार किया जावे। वकील वादी का कथन है, कि सेवत 2029 32 में रिकार्ड में गेंदीबाई पत्नी रघुनाथ था, जिसे गीताबाई पत्नी रघुनाथ दर्ज 30/9/19	No objection परमानंद अहीर एडवोकेट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	कर दिया गया है, जिसे दुरुस्त किया जाकर पुनः गेंदीबाई दर्ज किया जावे। गेंदीबाई की मृत्यु हो चुकी है, उनके स्थान पर वादी व प्रतिवादी 1 व 2 को गेंदीबाई के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी को आपत्ति नहीं है। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, प्रतिवादीगण के जवाब व वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाधक बिन्दुओं का अवसान हो चुका है। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है, कि हस्व नकल जमाबंदी ग्राम सालेड़ा(कुर्द) संवत 2029-32 में ख0नं0 201, 202, 221, 353, 354, 355, 357, 489 किता 8 (कब) 13बीघा 11बिस्वा	

हस्ताक्षर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर रघुनाथ पुत्र हरजी का नाम दर्ज थी इ.न. 1268 से रघुनाथ के बाद वफात वादी, प्रतिवादी नं. 1 व 2, भैरू व गेन्दीबाई का नाम दर्ज किया गया। बाद बन्दोबस्त साबिक उक्त खसरा नम्बरान से हाल खसरा नं. 242, 243, 262, 409, 410, 411, 413, 632 व 633 पैमूद किये गये। उक्त खसरा नम्बर पर गेंदीबाई के स्थान पर गीताबाई दर्ज कर दिया गया है। पूर्व में उक्त भूमि पर भैरू भी एक खातेदार था, किन्तु वर्तमान में उक्त का या उक्त के वारिसान का नाम दर्ज नहीं है। वादी द्वारा गेंन्दीबाई की मृत्यु के उपरान्त उक्त के स्थान स्वयं या प्रतिवादी नं. 1 व 2 को खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है, जो समताधार पर दी दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है। प्रकरण के हालात पर सम्यक विचार किया गया वादगत इकि पर गेंदीबाई का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से गीताबाई दर्ज कर दिया है, जिसे प्रार्थनानुसार दुरुस्त किया जाकर गीताबाई के स्थान पर गेंदीबाई दर्ज किया जाना उचित पाया जाता है बकाया अनुतोष अस्वीकार योग्य है। [हस्ताक्षर]	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	अतः राजीनामा के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम सालेड़ा (कुई) की भूमि ख० नं. 242, 243, 262, 409, 410, 411, 413, 632, 633 पर दर्ज गीताबाई के स्थान पर गेंदी बाई इन्द्राज किया जावे। रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार डिक्री मुरतिब हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि० 30.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया। 30/09/19 (विमलकान्त [illegible]) R.A.S.	

Yudl/Civil
Part IV-10

डिकरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंज मण्डी

ब इजलास— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

सांवला —बनाम— कजोड़

दावा बाबत— 88-89-R.T.ACt. 1955

मुकद्दमा नं.— 107 —सन्— 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल करने रू-ब-रू— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी— श्री S.R. अहीर एड. —मिनजानिब मुद्दई व— श्री पमानंद अहीर एड.

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सालेड़ा(खुर्द) की भूमि ख०नं० २५२,२५३,२६२,५०७,५१०,५११,५१३,६३२,६३३ पर दर्ज गीताबाई के स्थान पर गेंदीबाई इन्द्राज किया जावे।

चीज— x —मुबलिग— x —बाबत— x

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— x —फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक— x —को अदा करें।

बतस्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 30 —माह— 09 — 2019 को जारी की गई।

दस्तखत— [signature] 30/09/19
ओहदा— उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर ..			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक ..					
मीजान..	—	—	मीज़ान..	—	

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो.-40-2004-1,00,000 प्र.

[signature] 30/09/19
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner